

ले ज गुरमीत सिंह,
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,
वीएसएम (से नि)
राज्यपाल एवं
कुलाधिपति, उत्तराखण्ड संस्कृत
विश्वविद्यालय, हरिद्वार।



राजभवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या-3610 / जी0एस0(शिक्षा) / C5-8(4) / 2018

देहरादून : दिनांक : 28 फरवरी, 2022

आदेश

आदेश सं0-4422, दिनांक 21 फरवरी, 2019 के द्वारा उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के कुलपति पद पर नियुक्त वर्तमान कुलपति प्रो0 देवी प्रसाद त्रिपाठी का कार्यकाल दिनांक 01 मार्च, 2022 को पूर्ण हो रहा है। नियमित कुलपति के चयन की प्रक्रिया गतिमान है तथा यह सम्भव नहीं है कि वर्तमान कुलपति के कार्यकाल की अवधि तक नये कुलपति के चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाय।

अतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-12(10) में उपबन्धित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रो0 देवी प्रसाद त्रिपाठी को दिनांक 02 मार्च, 2022 से अग्रेत्तर छः माह की अवधि अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया जाता है।

ह/-

ले ज गुरमीत सिंह
कुलाधिपति।

संख्या 3610 (1) / जी0एस0(शिक्षा) / C5-8(4) / 2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रो0 देवी प्रसाद त्रिपाठी, कुलपति, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
6. कुलसचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
7. कुलसचिव, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय), बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016।
8. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन0के0 पोखरियाल)

उप सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।